

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक: लेखा/2021/

7264-74/21

दिनांक: 28/07/2021

ऑनलाइन निविदा सूचना संख्या 08/2021-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए नगर विकास न्यास, अलवर में उपयुक्त श्रेणी में एवं विभिन्न विभागों में ए एवं एए श्रेणी (विद्युत कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग प्रणाली) में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेब साईट <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन निविदाएं पंजीकृत संवेदकों से आमंत्रित की जाती हैं। उक्त कार्यों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा शुल्क को SSO ID के माध्यम से Urban Services Portal पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

क्र.सं.	निविदा की क्र.सं.	ऑनलाइन निविदा दिक्कत/डाउनलोड/अपलोड करने का समय	प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा शुल्क Urban Services Portal पर ऑनलाइन भुगतान/जमा करनी होगी।	ऑनलाइन निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि
1	1 से 9	02.08.21 प्रातः 9.30 से 11.08.21 दोपहर 2.00 बजे तक	02.08.21 प्रातः 9.30 से 10.08.21 दोपहर 3.00 बजे तक	11.08.21 को सायं 4.00 बजे

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख रु०)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अधि० अभिय०
1	स्कीम नं० 08 एक्सटेंशन के पार्क में पार्क लाईटिंग के कार्य	2.25	500.00	3 माह	इले.
2	प्रताप ऑडिटोरियम में फायर हाइड्रेंट के ऑपरेटिंग व रखरखाव का कार्य।	4.50	500.00	वा.अनुबन्ध	इले०
3	प्रताप ऑडिटोरियम में एयर चिलर सिस्टम के वार्षिक रखरखाव का कार्य।	4.50	500.00	वा.अनुबन्ध	इले०
4	सामान्य चिकित्सालय में हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	5.75	500.00	3 माह	इले.
5	चिल्ड्रन पार्क मोतीझारी में सौरकरण का कार्य।	7.00	500.00	3 माह	इले.
6	सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय एवं शिशु चिकित्सालय में स्थापित ऐयर डक्टिंग सिस्टम एवं सैन्टल ए.सी.की रिपेयरिंग एवं मरम्मत का कार्य।	12.30	500.00	4 माह	इले०
7	अरावली विहार विद्युतीकरण फेज प्रथम व द्वितीय का शेष कार्य	29.00	500.00	6 माह	इले.
8	विज्ञान नगर सैन्ट्रल पार्क में विद्युतीकरण का कार्य।	40.93	500.00	6 माह	इले.
9	जेल चौराहे से एसएमडी चौराहे तक स्थापित एलटी लाईन को भूमिगत करने का कार्य।	125.00	1000.00	12 माह	इले.

निविदा की सामान्य शर्तें :-

1	निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण http://eproc.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
2	प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 50.00 लाख से कम के कार्यों की निविदा के लिए रुपये 500/- व 50.00 लाख या उससे अधिक के कार्यों के लिए रुपये 1000/- देय होगा।
3	Urban Services Portal पर निविदा एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग शुल्क का E.Proc.Rajasthan.gov.in पर निविदा के साथ अपलोड की जावे।
4	तकनीकी बिड हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज ही सलग करें।
5	ऑनलाइन निविदा की पृथक पृथक निविदा शुल्क तथा आरआईएसएल प्रोसेसिंग शुल्क एसएसओ आई.डी. के माध्यम से अरबन ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जायेगी। प्रत्येक निविदा कार्य के लिये अलग-अलग राशि भुगतान करनी होगी।
6	निविदा खोलने की तिथि के किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्यालय दिवस में उसी समय पर निविदाएं खोली जायेगी।
7	सड़क कार्यों हेतु 300.00 लाख एवं भवन कार्यों हेतु 200.00 लाख से अधिक की निविदाओं के लिये तकनीकी आकलन में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड को खोलने की सूचना निविदादाताओं की ई-मेल से दी जायेगी।
8	संवेदकों की धरोहर राशि कायदेशि जारी होने के पश्चात लौटाई जायेगी।
9	राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 30.04.09 के अनुसरण में न्यास द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रनिंग/अन्तिम बिलों के भुगतान पर 1 प्रतिशत श्रम उपकर (L.CESS) भी देय होगा।
10	संवेदक द्वारा दरे समस्त टैक्स/कर जैसे जीएसटी आदि शामिल करते हुये दी जावे। जीएसटी या अन्य टैक्स के लिये पृथक से न्यास द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
11	प्रत्येक निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जीएसटी पंजीयन, पैन नम्बर प्रति, रजिस्ट्रेशन प्रति एवं पी.एफ.पंजीयन प्रति अपलोड करनी होगी तभी निविदा पर विचार किया जावेगा।
12	परफॉर्मेंस सिक्युरिटी मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के सन्तुलन क्रमांक CE/PWD/D&T/CIR/D-123 दिनांक 29.09.2017 में अंकित अनुसार गणना के आधार पर जमा कराई जाएगी। विभागीय स्वीकृति प्राप्त होने तक ये आदेश प्रभावी रहेगे।
13	उपरोक्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त कार्यों में निविदा की वैधता तिथि 90 दिन होगी।
14	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति माल और सेवाओं के उपापन के मामलों में नियमानुसार मानी जावेगी।
15	उक्त निविदा में सम्मिलित कार्यों पर Price Escalation देय नहीं होगा।

	राजस्थान सरकार वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(1)वित्त/2017 दिनांक 23.12.2020 अनुसार आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42 (2) में हुये संशोधन अनुसार बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में पृथक-पृथक घोषणा पत्र (50/-रुपये के स्टाम्प पर) कार्य का नाम या U.B.N. नम्बर अंकित करते हुये निविदा के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही घोषणा पत्र में वर्णित शर्तों की पूर्ति नहीं करने पर निविदा लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी।
17	उक्त निविदा में सम्मिलित 50.00 लाख राशि से अधिक के निर्माण कार्य हेतु संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर इंजीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार तृतीय पक्ष का निरीक्षण (Third Party Inspection) कराना होगा जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
18	कायदेशि जारी होने से पूर्व न्यूनतम निविदादाता द्वारा मूल घोषणा पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
19	उक्त निविदा पर RTTP Rules, 2013 तथा PWF & AR, (UDH विभाग) के नियम लागू होंगे।
20	राजस्थान सरकार वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2013 अनुसार प्रपत्र-ए, बी, सी एवं डी को भरकर हस्ताक्षर पश्चात निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा संवेदक की बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
21	क्र.स. 2 व 3 पर अंकित कार्य हेतु संवेदक उपर्युक्त सम्बन्धित श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए व इस प्रकार के पूर्व में किये गये कार्य का कायदेशि संलग्न करना होगा।
22	क्र.स. 6 पर अंकित कार्य हेतु संवेदक उपर्युक्त सम्बन्धित श्रेणी (E-AC-II) तथा इस प्रकार के पूर्व में किये गये विगत एक वर्ष में राशि रुपये 8.00 लाख का कार्य किसी सरकारी संस्था में पूर्ण कर चुके सम्बन्धी दस्तावेज/कार्यानुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करने होंगे। निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेगी।
23	क्र.स. 7 व 9 पर अंकित कार्य हेतु विगत एक वर्ष में संवेदक द्वारा एक तिहाई राशि का एक कायदेशि व कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना होगा तथा उक्त कार्य हेतु उपयोग में ली जाने वाली मैटेरियल का सीटीएल करवाना अनिवार्य है एवं सीटीएल फीस की राशि संवेदक द्वारा ही वहन की जायेगी। निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेगी।
24	क्र.स. 1 व 4 पर अंकित कार्य की दोष निवारण अवधि 2 वर्ष होगी।
25	क्र.स. 5 पर अंकित कार्य की दोष निवारण अवधि 5 वर्ष होगी एवं संवेदक को प्रत्येक 6 माह में सभी विधुत कनेक्शनों की चैकिंग व हर माह सोलर पैनलों की सफाई करनी होगी।

अधिशायी अभियंता
नगर विकास न्यास, अलवर

दिनांक:- / /2021

क्रमांक: लेखा/2021/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- माननीय सांसद महोदय, अलवर लोकसभा क्षेत्र अलवर।
- माननीय विधायक महोदय, अलवर शहर।
- माननीय सभापति महोदय, नगर परिषद, अलवर।
- श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, अलवर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर।
- लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति वास्ते निविदा सूचना प्रकाशनार्थ स्थानीय एवं राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशन करावें।
- कनिष्ठ अभियन्ता श्री आप सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.क्यू., एम.एस., एक्सल में तैयार कर आज ही प्रस्तुत करें। यदि बी.ओ.क्यू के अभाव में कोई निविदा निरस्त की गई तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
- प्रभारी अधिकारी आईटी को भेजकर लेख है कि राजस्थान राज्य के परिपत्र संख्या एफ.2(4)एफडी/ईएक्सपी-तृतीय/99 दिनांक 13.01.05 की अनुपालनार्थ सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करें न्यास की वेबसाईट स्टेट पब्लिक प्रोक्यूमेंट पोर्टल की वेबसाईट <http://sppj.raj.nic.in> ई-पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in> निविदा/ निविदा सूचना अपलोड के पश्चात दिनांक की सूचना सम्बन्धित को उपलब्ध करावे एवं राजस्थान संवाद के माध्यम से निविदा सूचना प्रकाशन हेतु classified.samwad@gmail.com पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- लेखाशाखा/कैशियर नगर विकास न्यास अलवर।
- सूचना सहायक नगर विकास न्यास, अलवर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना में अंकित कार्यों की निविदा **Urban Services Portal** पर अपलोड की जावे।

अधिशायी अभियंता
नगर विकास न्यास, अलवर